




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 216/NCRES/19

Date : 26.07.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- टाइप II आवास में रह रहे टाइप-III के पात्रता वाले कर्मचारियों के लिये AC का प्वाइन्ट लगाया जाना।

- सन्दर्भ:- (1) NCRES का PNM मद संख्या 23/2016
(2) NCRES का पत्र दिनांक 09.07.2019
(3) प्रधान कार्यालय का पत्र सं. ई.यल./पी.एस./उ.म.रे/पालिसी दिनांक 12.07.2019

महोदय,

आपके प्रयास से, टाइप-III के पात्रता वाले जो कर्मचारी टाइप- II आवास में रह रहे हैं, उनके आवास में AC प्वाइन्ट लगाने के लिये प्रधान कार्यालय ने दिनांक 12.07.2019 को आदेश जारी कर दिया है लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि उसमें NCRES के मद संख्या 23/2016 का जिक्र नहीं है।

यह भी अवगत कराना है कि NCRES ने PNM एवं अन्य बैठको में हमेशा अनुरोध किया है कि NCRES द्वारा उठाये गये मुद्दों पर यदि आदेश/निर्देश जारी किया जाता है तो उसमें NCRES के मद संख्या/पत्र का जिक्र अवश्य किया जाना चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या ई.यल./पी.एस./उ.म.रे/पालिसी दिनांक 12.07.2019 का शुद्धिपत्र जिसमें NCRES के मद संख्या 23/2016 का जिक्र हो जारी करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रधान कार्यालय का पत्र दिनांक 12.07.2019

mij p. y.
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री